भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2245
उत्तर देने की तारीख-05/08/2024

व्यावसायिक शिक्षा

2245. **श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और
(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से रोजगार सृजन के संबंध में भारतीय औद्योगिक इकाइयों के साथ चर्चा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में कौशल शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने और कौशल शिक्षा को मुख्यधारा में लाने की सिफारिश की गई है। केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' के कौशल शिक्षा घटक के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। माध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा IX और X में, छात्रों को एक अतिरिक्त विषय के रूप में कौशल मॉड्यूल प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, अर्थात् कक्षा XI और XII में, कौशल पाठ्यक्रम अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में प्रदान किए जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा का अवसर, इंटर्नशिप, 10 बैगलेस दिवस आदि को समग्र शिक्षा के नवाचार घटक के तहत शामिल किया गया है। अब तक 138 जॉब रोल्स (जेआर)/कौशल विषयों को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी

दी गई है। जेआर पाठ्यक्रम में संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल सहित रोजगार कौशल मॉड्यूल शामिल किए गए हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की एक घटक इकाई पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई) ने कौशल शिक्षा विषयों के लिए परिणाम-आधारित पाठ्यक्रम विकसित किया है तथा स्कूली छात्रों को कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए कौशल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है।

सरकार ने राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) तैयार किया है, जो स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और कौशल शिक्षा जैसे सभी आयामों में अधिगम के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को निर्बाध रूप से एकीकृत करने के लिए एक एकल फ्रेमवर्क है।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और कौशल-उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारतीय युवाओं को भावी और औद्योगिक कौशलों हेतु सक्षम बनाना है।

सरकार ने राष्ट्रीय इंटर्नशिप पोर्टल (https://internship.aicte-india.org/) विकसित किया है, जो देश भर में 1.98 करोड़ से अधिक छात्रों को मूल्यवान, उद्योग से जुड़े, सशुल्क, पूर्णकालिक या अंशकालिक इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने हेतु एक बाज़ार के रूप में कार्य करता है।

एआईसीटीई ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश विकसित किए हैं। इस पहल के तहत, प्रशिक्षुता घटक वाले पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि छात्रों को उद्योगों के लिए तैयार किया जा सके तथा रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई जा सकें। यूजीसी ने देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत कौशल-आधारित शिक्षा प्रदान करने की सुविधा भी दी है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग कौशल शिक्षा और रोजगार सृजन के लिए उद्योगों के साथ लगातार संपर्क में है। प्रतिष्ठित कंपनियों के सहयोग से, सीबीएसई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में छात्रों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक साझेदारी शुरू की है। स्कूल

शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक कौशल में शिक्षार्थियों को साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग और व्यावसायिक विकास कौशल जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों संबंधी कौशल प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्कूल स्तर पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के छात्रों को इच्छुक कंपनियों के सहयोग से ऑटोमोटिव कौशल और औद्योगिक अनुभव जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जा रहा है।

कौशल भारत मिशन के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) कौशल विकास कार्यक्रमों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए नियमित रूप से औद्योगिक हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करती है। एनएसडीसी के तहत स्थापित और औद्योगिक प्रतिनिधियों के नेतृत्व में सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण मॉड्यूल को डिजाइन और अद्यतन करने के लिए उद्योगों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वर्तमान औद्योगिक मानकों के अनुरूप हों।

*****